

## कार्यालय मुख्य वास्तुविद.

म0प्र0 लोक निर्माण विभाग, प्लॉट न0 27-28, "निर्माण भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल

[Email-chiefarchitectmp@gmail.com](mailto:Email-chiefarchitectmp@gmail.com)

Phone No-0755-2570643

क्रमांक: 13-9./सी.ए./ई.डी.सी./ ब्लैक लिस्टिंग/2016

भोपाल,दिनांक /07/2016

### आदेश

मेसर्स-आलोक तोमर, आर्किटेक्ट बाबरिया रोड, बारा पत्थर, सिवनी म0प्र0 को ग्राम उकवा, जिला बालाघाट में एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु वास्तुविद के रूप में एफको भोपाल के माध्यम से नियुक्त किया गया है। उक्त परियोजना के वास्तुविदीय कार्यों में की गयी लापरवाही/त्रुटियों के लिए मेसर्स आलोक तोमर, वास्तुविद का इस कार्यालय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया था:

1. आपके द्वारा प्रस्तावित भवन के डिजाईन एवं ड्राईंग स्थल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गये है। जिसमें स्थल पर उपलब्ध कन्टूर आदि का ध्यान नहीं रखा गया है ।
2. आपके द्वारा निर्माण हेतु जारी किये गये मानचित्र स्थल अनुसार नहीं होने के कारण भवन के उपयोग में कठिनाई होना स्वाभाविक है।
3. आपके द्वारा जो ले-आउट मानचित्र एफको के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, उसमें कन्टूरस नहीं दर्शाये हैं । उपरोक्तानुसार आपके द्वारा जबाबदारी पूर्ण कार्य न करने से इस परियोजना की निर्माण की गति पर एवं निर्माण लागत पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है ।

अतः सेवा में गंभीर/त्रुटि/लापरवाही हेतु क्यों न आपको नकारात्मक सूची में डाला जावे ।

उपरोक्त के संबंध में मेसर्स आलोक तोमर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण निम्न तथ्यों के आधार पर मान्य नहीं है ।

- अ. स्थल पर निर्माण हेतु स्थल की परिस्थिति अनुसार कार्यकारी/डिटेल्ड मानचित्र उनके द्वारा प्रदाय नहीं किये गये ।
- ब. स्कूल भवन का निर्माण कार्य कन्टूरस का उपयोग न करते हुये पहाड़ खोदकर कराया गया ।
- स. उनके द्वारा प्रस्तावित भवनों के निर्माण के दौरान निर्माणाधीन भवनों का यथासमय निरीक्षण नहीं किया गया ।


द. उनके द्वारा स्थल पर निर्माणाधीन असामान्य कार्य के संबंध में कोई जानकारी एफ़ो अथवा पी.आई.यू. को प्रस्तुत नहीं की गयी ।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आर्किटेक्ट (सेवा प्रदाता) द्वारा सेवा की गुणवत्ता में गंभीर कमी/त्रुटि/लापरवाही पाये जाने के कारण मेसर्स आलोक तोमर आर्किटेक्ट, जिनका आर्किटेक्ट केटेगरी में एम्पेनलमेंट क्रमांक AR/2014/0014/MPPWD है, का एम्पेनलमेंट म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक. एफ-17-1/2010/सा./19/भोपाल दिनांक 07.06.2014 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से एक वर्ष हेतु निलंबित किया जाता है।

Ad/-  
मुख्य वास्तुविद  
लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 भोपाल  
0755-2570643

पृ.क्र: 13-9./सी.ए./ई.डी.सी./ब्लैक-लिस्टिंग/2016/1933 भोपाल, दिनांक 11/07/2016  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. निर्माण भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. इन्दौर/जबलपुर/भोपाल/रीवा/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य वास्तुविद, एफ़ो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी0आई0यू0 बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
7. मेसर्स आलोक तोमर, आर्किटेक्ट, बाबरिया रोड, बारा पत्थर सिवनी म0प्र0 480661 की ओर सूचनार्थ। इस संबंध में आप 45 दिवस के अंदर परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र. भोपाल को अपील कर सकते हैं।
8. इन्चार्ज आई.टी. सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

  
मुख्य वास्तुविद 11.7.16

लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 भोपाल  
0755-2570643

Shri Mandra

Pl do the needful

P. Kumar  
Pls. upload.

12/07

IT-997  
12/7/2016